



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17122022-241205  
CG-DL-E-17122022-241205

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5678]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 16, 2022/ अग्रहायण 25, 1944

No. 5678]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 16, 2022/AGRAHAYANA 25, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2022

**का.आ 5914(अ).**—केन्द्रीय सरकार को पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3771(अ) दिनांक 04-08-2022, राजपत्र संख्या का.आ. 3598(अ) दिनांक 12-08-2022, के पेट्रोलियम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में, आंध्र प्रदेश राज्य में श्रीकाकुलम जिला में श्रीकाकुलम से अंगुल पाइपलाइन (एसएपीएल) के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इडिया) लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, सक्षम प्राधिकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइनें बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनें बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 6 कि उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, पाइपलाइनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

### अनुसूची

श्रीकाकुलम से अंगुल स्पर लाइन पाइपलाइन(एसएपीएल) प्रोजेक्ट					
भूमि अनुसूची					
जिला : श्रीकाकुलम			राज्य : आंध्र प्रदेश		
मंडल का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
मेलियापुट्टी	गोकर्णपुरम	57/1	00	02	34
		57/4	00	05	78
		57/3	00	02	63
		57/5	00	02	62
		57/6	00	03	84
		57/7	00	03	38
		55	00	64	75
		61/7	00	01	17
		61/6	00	01	11
		61/4	00	01	59
		61/5	00	01	03
		66/6	00	06	40
		66/2	00	06	02
		66/4	00	00	04
		66/3	00	00	07
		67/6	00	02	58
		67/5	00	01	56
		67/4	00	03	21
		69/2	00	04	04
		69/3	00	02	31
		69/8	00	00	64
		69/4	00	06	80
		68/9	00	01	68
		69/5	00	03	86
		93/1	00	08	63
		97/4	00	09	22
		97/2	00	07	05
		97/1	00	00	66

[फा. सं. एल-14014/158/2022-जीपी-II(ई-43819)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2022

**S.O. 5914(E).**—Whereas by notification of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 3(1) notification S.O. No. 3771 (E) dated 04.08.2022, notified in the Extraordinary Gazette of India No.3598 dated 12.08.2022, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) in the respectively in the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of **laying of Srikakulam Angul Spur Gas Pipeline in Srikakulam District in the State of Andhra Pradesh by the GAIL (India) Limited, Srikakulam.**

And whereas copies of the said Gazette notification were made available on 30.08.2022

And whereas the objections received from the land owners for laying of gas pipeline and disposed of as per Appendix-C;

And, whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to Central Government.

And Further whereas the Central Government has, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, Central Government hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipe line;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Central Government hereby directs that the Right of User in the said lands for laying the pipeline shall, instead of vesting in Central Government vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, proposing to lay the pipeline and there up the right of such user in the land shall subject to the terms and conditions so imposed, vest in the GAIL(India) Limited free from all encumbrances.

## SCHEDULE

SRIKAKULAM - ANUGL PIPELINE (SAPL) PART-B, Spur Line					
LAND SCHEDULE					
DISTRICT : SRIKAKULAM			STATE : ANDHRA PRADESH		
MANDAL	VILLAGE	SURVEY NO.	AREA		
			Hectare	Are	Sq. Mt.
Meliyaputti	Gokaranapuram	57/1	00	02	34
		57/4	00	05	78
		57/3	00	02	63
		57/5	00	02	62
		57/6	00	03	84
		57/7	00	03	38
		55	00	64	75
		61/7	00	01	17
		61/6	00	01	11
		61/4	00	01	59
		61/5	00	01	03
		66/6	00	06	40
		66/2	00	06	02
		66/4	00	00	04
		66/3	00	00	07
		67/6	00	02	58
		67/5	00	01	56
		67/4	00	03	21
		69/2	00	04	04
		69/3	00	02	31

		69/8	00	00	64
		69/4	00	06	80
		68/9	00	01	68
		69/5	00	03	86
		93/1	00	08	63
		97/4	00	09	22
		97/2	00	07	05
		97/1	00	00	66

[F. No. L-14014/158/2022-GP - II(E-43819)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.